क्रम संख्या–11

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 27 जनवरी, 2005 ई0
माघ 07, 1926 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 414/विधायी एवं संसदीय कार्य/2005
देहरादून, 27 जनवरी, 2005

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल अशासकीय शिक्षा (संशोधन एवं निरसन) विधेयक, 2005 पर दिनांक 27 जनवरी, 2005 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 04, सन् 2005 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तरांचल अशासकीय शिक्षा (संशोधन एवं निरसन) अधिनियम, 2005

(उत्तरांचल अधिनियम सं0 04, वर्ष 2005)

उत्तरांचल राज्य के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों से सम्बन्धित उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 को उत्तरांचल राज्य के परिपेक्ष्य में संशोधन करने के लिए तथा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 (अधिनियम संख्या 05, वर्ष 1982) (यथा उत्तरांचल में लागू) को उत्तरांचल के परिपेक्ष्य में निरसित किये जाने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में विधान सभा द्वारा निम्नवत् अधिनियमित :–

अध्याय–1

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ एवं विस्तार

1–(1) यह अधिनियम उत्तरांचल अशासकीय शिक्षा (संशोधन एवं निरसन) अधिनियम, 2005 कहा जायेगा।

(2) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(3) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य में होगा।

अध्याय–2

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 में संशोधन

2–उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) में धारा 2 (ककक) के बाद एक नई उपधारा (कककक) जोड़ दी जायेगी–

(कककक)–"निदेशक" से तात्पर्य "निदेशक विद्यालयी शिक्षा" से है और धारा 3 के प्रयोजनों के सिवाय इसके अन्तर्गत "अपर शिक्षा निदेशक मुख्यालय" भी है।

मूल अधिनियम की धारा 2 (खख) में संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 2 (खख) में शब्द "जिला विद्यालय निरीक्षक" तथा "सम्भागीय बालिका निरीक्षिका" के स्थान पर शब्द "जिला शिक्षा अधिकारी" रख दिये जायेंगे।

मूल अधिनियम की धारा 2 (घघ) में संशोधन

4–मूल अधिनियम की धारा 2 (घघ) में शब्द "सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक" के स्थान पर शब्द "मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक" रख दिये जायेंगे।

5–मूल अधिनियम की धारा 16 छछ के बाद निम्न धारा रख दी जायेगी :–

"(16 छछछ) (अ) अल्पकालिक रिक्तियों के प्रति नियुक्तियों का विनियमितीकरण–

(1) ऐसे किसी अध्यापक को प्रबन्धतंत्र द्वारा मौलिक नियुक्ति दी जायेगी, जो–

(क) समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा बोर्ड (कठिनाइयों को दूर करना) (द्वितीय) आदेश, 1981 के पैरा–2 के अनुसार प्रवक्ता श्रेणी या प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी में 14 मई, 1991 को या उसके पश्चात् किन्तु 6 अगस्त, 1993 के पश्चात् नहीं, पदोन्नति या सीधी भर्ती द्वारा किसी अल्पकालिक रिक्ति के प्रति नियुक्त किये गये थे, और ऐसी रिक्ति को बाद में मौलिक रिक्ति में परिवर्तित कर दिया गया था;

(ख) इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के उपबन्धों के अनुसार विहित अर्हताएं रखता हो या जिसे ऐसी अर्हता से छूट प्राप्त हो;

(ग) ऐसी नियुक्ति के दिनांक से इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक तक संस्था में निरंतर कार्यरत रहा हो;

(घ) धारा (16 छछछ) की उपधारा (ख) के अधीन गठित चयन समिति द्वारा मौलिक रूप में नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाया गया हो।

(2) (क) मौलिक नियुक्ति के लिए अध्यापकों के नामों की सिफारिश उनकी नियुक्ति के दिनांक से यथा–अवधारित ज्येष्ठता क्रम में की जायेगी;

(ख) यदि दो या अधिक ऐसे अध्यापक एक ही दिनांक को नियुक्त किये गये हों तो आयु में अपेक्षाकृत बड़े अध्यापक की सिफारिश पहले की जायेगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन मौलिक रूप में नियुक्त प्रत्येक अध्यापक को ऐसी मौलिक नियुक्ति के दिनांक से परिवीक्षा पर समझा जायेगा।

(4) ऐसा अध्यापक जो उपधारा (1) के अधीन उपयुक्त न पाया जाय और ऐसा अध्यापक जो उस उपधारा के अधीन मौलिक नियुक्ति पाने के लिए पात्र न हो, ऐसे दिनांक को जैसा राज्य सरकार आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे नियुक्ति पर नहीं रह जायेगा।

(5) इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि कोई अध्यापक मौलिक नियुक्ति के लिये हकदार हो जायेगा, यदि उपधारा (1) के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक की ऐसी रिक्ति पहले से ही भरी हुई थी या ऐसी रिक्ति के लिए इस अधिनियम के अनुसार पहले से ही चयन कर लिया गया है।"

"(ब) विनियमितीकरण हेतु चयन समिति–प्रत्येक मण्डल के लिए एक चयन समिति होगी जो निम्नलिखित होंगी–

(एक) उस मण्डल का मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक– अध्यक्ष।

(दो) उस मण्डल का वरिष्ठतम मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक– सदस्य।

(तीन) संबंधित जिले का जिला शिक्षा अधिकारी– सदस्य।"

अध्याय–3

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 का निरसन

निरसन एवं व्यावृत्ति

6–(1) उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 (अधिनियम संख्या 05, वर्ष 1982) (यथा उत्तरांचल में लागू) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा निरसित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्यवाही समझी जायेगी, मानो इस अधिनियम के सभी उपबन्ध सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,

आई० जे० मल्होत्रा,

प्रमुख सचिव।

No. 414/Vidhayee & Sansadiya Karya/2005

Dated Dehradun, January 27, 2005

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttaranchal Non-Government Education (Amendment) Repeal Bill, 2005 (Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 04 of 2005).

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented to by the Governor on January 27, 2005.

THE UTTARANCHAL NON-GOVERNMENT EDUCATION (AMENDMENT AND REPEAL) ACT, 2005

(UTTARANCHAL ACT NO. 04 OF 2005)

To amend the Uttaranchal (The Uttar Pradesh Intermediate Education Act, 1921) Adaptation and Modification Order, 2002 in the context of the State of Uttaranchal relating to non-government aided intermediate schools of Uttaranchal and repeal the Uttar Pradesh Secondary Education Services Selection Board Act, 1982 (Act no. 5 of 1982) (As applicable to the State of Uttaranchal)

AN

ACT

Enacted by the Legislative Assembly in the Fifty-fifth Year of the Republic of India as follows :--

Chapter--1

Short Title, Commencement and Extent

1. (1) This Act may be called the Uttaranchal Non-Government Education (Amendment and Repeal) Act, 2005.

(2) It shall come into force at once.

(3) It shall extend to the whole State of Uttaranchal.

Chapter--2

Amendment in the Uttaranchal (The Uttar Pradesh Intermediate Education Act, 1921) Adaptation and Modification Order, 2002

2. After section 2 (AAA), a new sub-section (AAAA) shall be added in the Uttaranchal (The Uttar Pradesh Intermediate Education Act, 1921) Adaptation and Modification Order, 2002 (hereinafter referred to as Principal Act)--

"(AAAA)--Director means "Director of School Education" and it also includes, except for the purpose of section 3, Additional Director of Education, Headquarter."

Amendment in the section 2 (BB) of the Principal Act

3. In section 2 (BB) of the Principal Act, the words "District Inspector of School" and "Regional Inspector of Girls School" shall be substituted by the word "District Education Officer".

Amendment in section 2(DD) of the Principal Act

4. In section 2 (DD) of the Principal Act, the words "Divisional Deputy Director of Education" shall be substituted by the word "Regional Additional Director of Education".

5. After section 16 GG of the Principal Act, a new section shall be substitued, as follows :--

"(16 GGG) (A) Regularisation of appointment against short term vacancies--

(1) Substantive appointment shall be given to such a teacher by the Management, who--

(a) was appointed by promotion or by direct recruitment in the lecturer's grade or trained graduate grade on or after May 14, 1991 but not after August 6, 1993 against short term vacancy in accordance with paragraph 2 of the Uttar Pradesh Secondary Education Services Board (Removal of difficulties) (Second) Order, 1981, as amended from time to time, and such vacancy was subsequently converted into a substantive vacancy;

(b) possesses the qualification prescribed under, or is exempted from such qualifications in accordance with, the provisions of the Intermediate Education Act, 1921;

(c) has been continuously serving the institution from the date of such appointment unto the date of the commencement of the Act;

(d) has been found suitable for appointment in a substantive capacity by the Selection Committee under sub-section (B) of section (16 GGG).

(2) (a) The names of the such teachers shall be recommended for substantive appointment in order of seniority as determined from the date of their appointment;

(b) If two or more such teachers are appointed on the same date the teacher who is elder in age shall be recommended first.

(3) Every teacher appointed in a substantive capacity under sub-section (1) shall be deemed to be on probation from the date of such appointment.

(4) A teacher who is not found suitable under sub-section (1) and a teacher who is not eligible to get a substantive appointment under said sub-section shall cease to hold the appointment on such date as the State Government may by order specify.

(5) Nothing in this section shall be construed to entitle any teacher to substantive appointment, if on the date of the commencement of the Act referred to in clause (C) of sub-section (1) such vacancy had already been filled or selection for such vacancy has already been made in accordance with the Act."

"**(B) Selection Committee for Regularisation**--There shall be a Selection Committee in each Region constituted of--

(i) Additional Director of Education of the Region--	Chairman.
(ii) Senior most Joint Director of Education of the Region--	Member.
(iii) District Education Officer of the relevant District--	Member."

Chapter--3

Repeal of the Uttar Pradesh Secondary Education Services Selection Board Act, 1982

6. (1) The Uttar Pradesh Secondary Education Services Selection Board Act, 1982 (Act no. 5 of 1982) (As applicable to the State of Uttaranchal) is hereby repealed. Repeal and Savings

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Principal Act referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the Act as if the provisions of the Act were in force at all material times.

By Order,

I. J. MALHOTRA,
Principal Secretary.

पी०एस०यू० (आर०ई०) 04 विधायी/28–2005–85+500 (कम्प्यूटर/रीजियो)।